

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठारीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 44 / 2022  
रजिस्ट्रेशन नं. : 2022 / 55

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी बांसवाड़ा  
(राज)

बनाम

अभियुक्त :-

श्री दर्शन मेहता पुत्र श्री यादव चन्द्र जी नेमा  
महाजन मैसर्स RJ 03 UA 1550, कस्टम  
चौराहा, बांसवाड़ा, निवासी रातीतलाई, गली  
नं. 03, बांसवाड़ा


अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 10-10-2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 12-09-2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 27-01-2022 को 1.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स RJ 03 UA 1550, कस्टम चौराहा, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय वहाँ पर श्री दर्शन मेहता पुत्र श्री यादव चन्द्र जी नेमा महाजन उपस्थित थे। विक्रेता के वाहन का निरीक्षण करने पर Fruit Cake (Brand- Suman) के 60 पैक पैकेट थे जिनको आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए Fruit Cake (Brand- Suman) के 8 पैक पैकेट वारते नमूना जाँच हेतु खरीदे तथा इनकी कीमत 240 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा Fruit Cake (Brand- Suman) के 8 पैक पैकेट के चार भाग करके चार पैकेट किये चारो पैकेट को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग गय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा एवं

खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा को जमा करवाया।




न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अतिरिक्त जिला कलक्टर)  
बांसवाड़ा (राज.)






अतः Sub-standard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulations 2011, hence it is declare Misbranded Food under section 3(1)(zf) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा सब स्टेण्डर्ड एवं मिसब्रान्डेड **Fruit Cake (Brand-Suman)** को विक्रय करके विक्रेता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री दर्शन मेहता पुत्र श्री यादव चन्द्र जी नेमा महाजन मैसर्स **RJ 03 UA 1550**, कस्टम चौराहा, बॉसवाडा, निवासी रातीतलाई, गली नं. 03, बॉसवाडा रुपये 20,000/- (अक्षरे रू बीस हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
( नरेश बुनकर )  
न्यायनिर्णयन अधिकारी  
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर)  
बंसवाडा (राज.)  
बंसवाडा